MOTION FOR ELECTION TO THE COURT OF THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I move the following Motion:

"That in pursuance of item (xxiv) of clause (1) read with clause (2) of Statute 14 of the Statutes of the Aligarh Muslim University appended to the Aligarh Muslim University (Amendment) Act, 1981, in terms of Section 28 thereof, this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from amongst the Members of the House to be a member of the Court of the Aligarh Muslim University in the vacancy caused due to the expiry of term of Shri K.N. Balagopal therein on the 3rd May, 2015."

The question was put and the Motion was adopted.

RE. NOTICE UNDER RULE 267

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Notice under Rule 267, Shri Ghulam Nabi Azad.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal) : Sir, I have also given a Notice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After this. His is the first Notice and yours is second.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, अरुणाचल प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, मैंने उसके लिए नोटिस दिया है। 31 अक्तूबर, 2015 को विधान सभा का सेशन खत्म हुआ था और 3 नवम्बर, 2015 को माननीय गवर्नर साहब ने उसे prorogue किया। 14 जनवरी, 2016 को सेशन दोबारा से बुलाया जाना था, लेकिन इसी बीच में, prorogue होने के बाद वहां पर कुछ डेवलपमेंट्स हुईं। वहां कांग्रेस के 47 MLAs हैं, भारतीय जनता पार्टी के 11 MLAs हैं और दो MLAs Independent हैं, इस तरह 60 MLAs का हाउस है। कांग्रेस के कुछ rebels हैं और उन rebels में एक कांग्रेस का डिप्टी स्पीकर भी है। हर पार्टी में rebel activities चलती रहती हैं। 6 नवम्बर, 2015 को कांग्रेस के एमएलएज़ ने डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया कि वे * और वे रूलिंग पार्टी की तरफ से नियुक्त किये गये या इलेक्ट किये गये डिप्टी स्पीकर हैं। वे * डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस की जो प्रक्रिया अंडर कांस्टीट्यूशन होती है, वह कांग्रेस के एमएलएज़ ने दी। उसके तीन दिन बाद, 9 नवम्बर को भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज़ ने स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया। यह 'तीन दिन बाद' बहुत जरूरी है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.